न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2020

1. हंसराज पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. फूलाराम पुत्र खिराज जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
2. सुनील पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
3. मनीष कुमार पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री फूलाराम पत्नी पवन कुमार जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा हाल भोडिया खेडा त0 व जिला फतेहाबाद।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अनिल मितल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 86/83 के खसरा सं0 358/2 की 0.2530है0, खसरा सं0 359 की 0.5690है0, खसरा सं0 405/201 की 0.8070है0, खसरा सं0 408/214 की 0.2850है0, खसरा सं0 410/312 की 0.2020है0, खसरा सं0 413/313 की 0.4050है0, खसरा सं0 416/346 की 0.5380है0, खसरा सं0 418/350 की 0.6700है0, खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 कुल 5.0570है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम यथावत रखते हुए शेष वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी हंसराज व प्रतिवादी सं0 2 सुनील प्रतिवादी सं0 3 मनीष कुमार व प्रतिवादी सं0 4 राजबाला को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2020

1. हंसराज पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।:– वादी

ब नाम

1. फूलाराम पुत्र खिराज जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
2. सुनील पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
3. मनीष कुमार पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री फूलाराम पत्नी पवन कुमार जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा त0 भादरा हाल भोडिया खेडा त0 व जिला फतेहाबाद।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री महेश बंसल : वादी

वकील श्री अनिल मितल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 11-02-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा झिलौदा के खाता सं0 86/83 के खसरा सं0 358/2 की 0.2530है0, खसरा सं0 359 की 0.5690है0, खसरा सं0 405/201 की 0.8070है0, खसरा सं0 408/214 की 0.2850है0, खसरा सं0 410/312 की 0.2020है0, खसरा सं0 413/313 की 0.4050है0, खसरा सं0 416/346 की 0.5380है0, खसरा सं0 418/350 की 0.6700है0, खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 कुल 5.0570है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता खिराज की खातेदारी हुआ करती थी। खिराज से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं 5 सरकार की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश करने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु हंसराज पुत्र फूलाराम जाति मेघवंशी निवासी झिलौदा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम झिलौदा खाता सं0 86/83 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही झिलौदा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भानगढ 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:48:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में फूलाराम के तीन पुत्र हंसराज, सुनील व मनीष व एक पुत्री राजबाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा झिलौदा के खाता सं0 86/83 के खसरा सं0 358/2 की 0.2530है0, खसरा सं0 359 की 0.5690है0, खसरा सं0 405/201 की 0.8070है0, खसरा सं0 408/214 की 0.2850है0, खसरा सं0 410/312 की 0.2020है0, खसरा सं0 413/313 की 0.4050है0, खसरा सं0 416/346 की 0.5380है0, खसरा सं0 418/350 की 0.6700है0, खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 कुल 5.0570है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 भूमि फूलाराम के नाम यथावत रखते हुए शेष वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा,आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा झिलौदा के खाता सं0 86/83 के खसरा सं0 358/2 की 0.2530है0, खसरा सं0 359 की 0.5690है0, खसरा सं0 405/201 की 0.8070है0, खसरा सं0 408/214 की 0.2850है0, खसरा सं0 410/312 की 0.2020है0, खसरा सं0 413/313 की 0.4050है0, खसरा सं0 416/346 की 0.5380है0, खसरा सं0 418/350 की 0.6700है0, खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 कुल 5.0570है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से खसरा सं0 421/341 की 1.3280है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम के नाम यथावत रखते हुए शेष वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 फूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही.उपरोक्तानुसार वादी हंसराज व प्रतिवादी सं0 2 सुनील प्रतिवादी सं0 3 मनीष कुमार व प्रतिवादी सं0 4 राजबाला को बहिस्सा बराबर के अनु[illegible] रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन क[illegible] जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.[illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner